## PART II

# HARYANA GOVERNMENT

# LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

### Notification

The 31st January, 2025

No. Leg. 3/2025.— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 28th January, 2025 is hereby published for general information:-

# HARYANA ORDINANCE NO. 1 OF 2025

# THE HARYANA CONTRACTUAL EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) AMENDMENT ORDINANCE, 2025

#### AN

## ORDINANCE

further to amend the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Ordinance, 2025.

Short title.

2. In Explanation 2 to clause (ii) of section 3 of the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024, for the words "in a calendar year", the words "during a period of one year contractual service" shall be substituted.

Amendment of section 3 of Haryana Act 17 of 2024.

DATED CHANDIGARH THE 31ST JANUARY, 2025 BANDARU DATTATRAYA GOVERNOR OF HARYANA

SWATI SEHGAL,
ADDITIONAL LEGAL REMEMBRANCER
AND SPECIAL SECRETARY TO GOVERNMENT,
HARYANA, LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

11616—L.R.—H.G.P., Pkl.

## भाग—II

## हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 11 फरवरी, 2025

संख्या लेज. 3/2025.— दि हरियाणा कॉनट्रैक्टयूअ्ल इम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनन्स, 2025 का निम्नलिखत हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 7 फरवरी, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4—क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025 हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेश

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश हिरयाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025 संक्षिप्त नाम। कहा जा सकता है।

2. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की धारा 3 के खण्ड (ii) की व्याख्या 2 में, "एक कैलेण्डर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अविध के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2024 के हरियाणा अधिनियम 17 की धारा 3 का संशोधन।

चण्डीगढ़ः दिनांक 7 फरवरी, 2025 बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

11639—L.R.—H.G.P., Pkl.